



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र.क निगरानी / /अध्यक्ष / 2016

क्र-2317-PBR-16

वीरेन्द्र सिंह कौरव पुत्र श्री हिम्मत सिंह  
कौरव निवासी 18 ए द्वारिकापुरी कॉलोनी  
ग्वालियर

— प्रार्थी

बनाम

- 1 कुल सचिव जीवाजी विश्वविद्यालय मार्ग  
ग्वालियर
- 2 कैलाश गृह निर्माण सहकारी समिति  
मर्यादित ग्वालियर द्वारा अध्यक्ष सुरेन्द्र  
कुमार शर्मा पुत्र श्री जगन्नाथ प्रसाद शर्मा  
निवासी बलवंत नगर थाटीपुर ग्वालियर

—प्रतिप्रार्थीगण

म0प्र0 भूराजस्व संहिता की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार तहसील ग्वालियर के  
प्रकरण क्रमांक 12/15-16/अ-12 मे पारित आदेश दिनांकी 10.05.2016 के  
निर्णय के विरुद्ध निगरानी

*(Signature)*

वीरन्द् | कुलसचिव

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग. 2317-अध्यक्ष/2016

जिला ग्वालियर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
11.8.16	<p>आवेदक अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार ग्वालियर के द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-5-2016 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा विधिवत् सीमांकन दल गठित किया जाकर ई.टी.एस. मशीन से सीमांकन कराते हुये सीमांकन आदेश पारित किया गया है, जिसमें प्रथमदृष्टया कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । फलस्वरूप यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है ।</p>	<p>(मनोज गोयल) अध्यक्ष</p>